राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(36)नियम/डीएलबी/16/2457 दिनांकः 16/01/18

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 258 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य की समस्त नगरीय निकायो को राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश प्रदान करती है कि नगरीय निकायो के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक थैलियों (प्लास्टिक कैरी बैग) को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विरचित अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन नियम, 2016 की पालना सुनिश्चित की जाकर उक्त नियमो में यथा परिभाषित ऐसे कैरी बैग जो ऐसी पैंकेजिंग गठित करता है या अभिन्न भाग बनता है, जिसमें माल को उपयोग के पूर्व सील किया जाता है, को छोडकर शेष प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण, विक्रय या उपयोग को पूर्णतः निर्बन्धित किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 258 के तहत राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इनके विनिर्माण, विक्रय या उपयोग को पूणतः प्रतिबंधित किये जाने की कार्यवाही अविलम्ब की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(36)नियम/डीएलबी/16/2458–2883 दिनांकः 16/01/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक,मा.मंत्रीमहोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ।
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त।
6. सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण मंण्डल 4 इन्स्टीटयूशनल एरिया, झालाना डूंगरी,जयपुर–302004।
7. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
8. नोडल अधिकारी मॉनेटरीग सेल ईगर्वनेन्स को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी